रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2013/वैशाख 12, 1935
No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2013/VAISAKHA 12, 1935

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

अधिसूचना

सा0का0नि0. 277 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रवीणता प्रमाणपत्र और विश्व समुद्री विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली प्रचालन अनुज्ञप्ति) नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रवीणता प्रमाणपत्र और विश्व समुद्री विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली संचालन अनुज्ञप्ति) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रवीणता प्रमाणपत्र और विश्व समुद्री विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली प्रचालन अनुज्ञप्ति) नियम, 1997 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में उपनियम (2) स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) नियम 8क में यथा उपबंधित के सिवाए, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के अवसान पर एक समय में, उसका पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा, यदि अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति अवधि के अवसान की तारीख से तीन मास के पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है ; और

(i) वह एक हजार रुपए फीस का भुगतान करता है ;

(ii) वह अनुज्ञप्ति की अवसान के ठीक पहले के पांच वर्ष के भीतर कम से कम कुल छह मास का अनुभव रखता है ; और

(iii) वह केंद्रीय सरकार को पुनः परीक्षा द्वारा या अन्यथा यह समाधान कर देता है कि प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपेक्षित पूरी पात्रता रखता है"; ।

3. उक्त नियम के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"8क. नवीनीकरण में विलंब के लिए अतिरिक्त फीस :–

(1) नियम 8 के उपनियम (2) के अनुसार अनुज्ञप्ति धारक के, अवसान की तारीख से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करने की दशा में, अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् उस तारीख से दो वर्ष के भीतर अतिरिक्त फीस जो न्यूनतम दो सौ पचास रुपए के अधीन प्रत्येक मास के लिए दो प्रतिशत की दर से भुगतान करके आवेदन कर सकेगा और यदि नवीनीकरण में विलंब बारह मास से अधिक है, तब इन नियमों के अधीन अतिरिक्त फीस पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इस शर्त के अधीन लिया जाएगा कि ऐसे मामले में अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से केवल पांच वर्ष के लिए होगा ।

(2) अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नियम 8 के उपनियम (2) में यथा अधिकथित आवश्यक अनुभव नहीं रखने या अनुज्ञप्ति के अवसान के दो वर्ष पश्चात् अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित विश्व समुद्री विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली की भाग-2 परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, और ऐसे मामले में अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की होगी"

[फा0 सं0 पी-14038/12/2012-सीओपी]

मुनेश कुमार, उप बेतार सलाहकार,

टिप्पण- मूल नियम को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा0कानि0133, तारीख 6 जुलाई, 1998 द्वारा तारीख 25 जुलाई, 1998 को प्रकाशिए किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi , 2nd May, 2013

NOTIFICATION

G.S.R. 277 (E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) , the Central Government hereby makes the following rules to **amend** the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules,1997 (hereinafter referred to as the said rules); in rule 8, for sub-rule (2) ,the following sub rule shall be substituted, namely **:-**

"(2) On the expiry of the initial period of the validity of licence, it may be renewed for a period of five years at a time, if the holder of the licence applies for renewal of the licence within a period of three months before the date of expiry of the period of licence except as provided in rule 8A, and -

(i) pays a fee of one thousand rupees;

(ii) has a total experience of not less than six months within five years immediately preceding the date of expiry of a licence; and

(iii) satisfies the Central Government by re-examination or otherwise that he still possesses all of the eligibilities required for issue of the certificate";.

3. After rule 8 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"8 A. Additional fees for late renewal :-

(1) In case the holder of the licence does not apply for its renewal prior to the date of expiry of the licence as under sub-rule (2) of rule 8, he may apply for the renewal of licence within a period of two years after the date of expiry of the licence on payment of a additional fee at the rate of two percent of the renewal fee payable per month subject to a minimum of two hundred fifty rupees and if the delay in renewal is more than twelve months, then, the additional fees under this rule shall be compounded annually subject to condition that in such cases the licence shall be renewed only for a period of five years from the date of expiry of licence.

(2) In case the holder of the licence does not possess the requisite experience as laid down under sub-rule (2) of rule 8, or applies for renewal of licence after two years from the expiry of the licence, he shall be required to pass Part II of the Global Maritime Distress and Safety System examination held by the Central Government in the Ministry of Communications and Information Technology at various centres and in such case the validity of the licence shall be five years commencing from the date of declaration of results of the said examination"

[F.No.P-14038/12/2012-COP]

MUNESH KUMAR, Dy. Wireless Advisor

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 133, dated the 6th July,1998, published in the Gazette of India ,dated the 25th July,1998.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005